

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अजय कुमार बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज


प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 109/वर्ष 2022


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का  
केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।  
आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 06.04.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा  
चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 157/0.10,  
158/0.10, 352/0.32, 439/0.16, 459/0.49, 460/0.49, 495/0.29, 582/1.  
09, 583/0.53, 584/0.53, 607/0.59, 608/0.32, 609/0.28, 622/0.41,  
623/0.28, 624/0.33, 356/0.25, 357/0.14, 358/0.18, 361/0.18, 420/0.  
12, 421/0.10, 422/0.18, 423/0.34, 425/0.18, 426/0.23, 427/0.15,  
428/0.14 है0 वाके ग्राम कमालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी  
के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई  
उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे।  
वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने  
सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली  
वाद के साथ पेश हों।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

21/03/22 पत्रावली काज मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी  
अधिवक्ता उपखण्ड अधिकारी का प्रार्थना पत्र  
आदेश 6 नियम 17 सं/कार तिजारा आसन्दे  
पत्रावली मूल दावा के साथ दिनांक 06.04.22 को  
पेश हो   
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

06<sup>04</sup>  
22

आज फराकली पेशा एी कारी अरु  
उपरा फराक कुल वाड के फाव विनि  
19/05/22 री पेशा एी

उपराण्ड अधिकारी  
विभाग (अलवठ) रजम

19/05/22

आज फराकली पेशा एी फाव क अरि  
अरु फराक कुल वाड अरु  
हाव क पेशा के अरि एी गारा एी अरु  
पूर्व क फराकली गारा अरु अरि विनि  
जाम. फराकली कालु विनि फराकली  
अरि विनि जाम. कालु कुल वाड एी

उपराण्ड अधिकारी  
विभाग (अलवठ) रजम